



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आदेश

बंधक श्रम पद्धति (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (2) के
तहत जिला सतर्कता समिति, जिला दुर्ग का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग | अध्यक्ष |
| 2. | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सदस्य | सदस्य |
| 1. | श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा, माननीय विधायक,
विधानसभा क्षेत्र अहिवारा | |
| 2. | सुश्री रेखा कुरै, सदस्य जिला पंचायत, दुर्ग। | |
| 3. | 3.डॉ. देवनारायण ताण्डी, सभापति नगर निगम, दुर्ग | |
| 3. | सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 1. | श्री प्रशांत गुप्ता, अध्यक्ष, रोटरी वलब भिलाई
“ग्रेटर हाऊसिंग बोर्ड” | |
| 2. | श्री विरेन्द्र नागवंशी, अध्यक्ष, जनसेवक समिति भिलाई-3 | |
| 4. | ग्रामीण विकास विभाग से सम्बद्ध | सदस्य |
| 1. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग (पदेन) | |
| 2. | उपसंचालक, पंचायत, दुर्ग (पदेन) | |
| 3. | श्री अजय बघेल, सदस्य, जिला पंचायत, दुर्ग | |
| 5. | वित्तीय एवं ऋण संस्थानों का प्रतिनिधि | सदस्य |
| | लीड बैंक अधिकारी, जिला दुर्ग (पदेन) | |

जिला दण्डाधिकारी ३०/८
दुर्ग


पृ.कं/783-ए/स्टो/2012

दुर्ग, दिनांक 31/10/2012



प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।


जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग